न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 01/2024

प्रार्थना पत्र अ. धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फताराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– प्रार्थी

विरूद्ध

1. मदनलाल पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जयमलराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. मिलखीराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढ़ाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. दलौर सिंह पुत्र श्री सन्धुरा सिंह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. कुलदीप कौर पत्नी श्री कौर सिंह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 01-04-2024

प्रार्थी फताराम ने अप्रार्थीगण मदनलाल वगैरा के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाये जाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 [illegible] के एकल खाता सं. 62/39 जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible] है. [illegible] भूमि तथा इसी प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से इसी [illegible] 14 एम.जे.डी. के सांझा खाता सं. 10/39 जमाबन्दी [illegible] 02 है. कृषि भूमि तथा इसी प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से इसी चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 129/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.771 है. कृषि भूमि तथा इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 4 के नाम से इसी चक

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:29:30 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 48/20 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 3. 503 है. कृषि भूमि तथा इसी प्रकार अप्रार्थीया सं. 5 के नाम से इसी चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 9/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1. 012 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को अपनी तहसील संगरिया के चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 62/39 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.734 है. कृषि भूमि में आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नही है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को अपनी कृषि भूमि काश्त करने के लिये आने-जाने में बिना स्वीकृत रास्ता के भारी असुविधा होती है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपनी कृषि भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता नही होने से भयभीत हो रहे है। अब प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपने खेत में आने-जाने हेतु रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपनी स्वयं की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के सांझा खाता सं. 10/39 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में मुख्य रास्ता से प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 1/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि, प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपनी स्वयं की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 129/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 2/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि, अप्रार्थी सं. 4 की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 48/20 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 3,4/0.019 है.प्र. (प्रत्येक किला में किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि तथा अप्रार्थीया सं. 5 की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 9/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 5/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि रास्ता को स्वीकृत करवा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहते है जो कि वर्तमान में चालु है। इस कारण प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 ता 5 से कई बार निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपनी स्वयं

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.04.26 11:29:30 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के सांझा खाता सं. 10/39 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में मुख्य रास्ता से प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 1/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि, प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपनी स्वयं की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 129/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 2/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि, अप्रार्थी सं. 4 की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 48/20 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 3,4/0.019 है.प्र.(प्रत्येक किला में किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि तथा अप्रार्थीया सं. 5 की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 9/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 5/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा) रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करवा देवें तो पहले तो अप्रार्थी सं. 1 ता 5 आजकल-आजकल कर. टाल मटोल करते रहे लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये गये जो कि शामिल मिसल किये गये। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 14 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता सं. 62/39, 10/39, 129/73, 48/20 व 9/36 की जमाबन्दीया की प्रति पेश की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में प्रार्थी के अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 5 एक ही चक के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये गये। जब प्रार्थी [illegible] पत्र में किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थना पत्र [illegible] रास्ता स्वीकृति का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण ने सहमति के जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थना पत्र निर्णित किये जाने पर सहमति दी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र निर्णित किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील अप्रार्थीगण ने कोई विरोध नही किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29:30 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --4

... एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक अनुतोष अनुसार निर्णित किया जाता है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के सांझा खाता सं. 10/39 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में मुख्य रास्ता से प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 1/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि, अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 129/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 2/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि, अप्रार्थी सं. 4 की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 48/20 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 3,4/0.019 है.प्र.(प्रत्येक किला में किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि तथा अप्रार्थीया सं. 5 की कब्जाकाश्त में से चक 14 एम.जे.डी. के एकल खाता सं. 9/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि.नं. 5/0.019 है.(किला की उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा व 12½ फुट चौड़ा) रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:29:30 IS
Reason: SelfAttested